मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमांक 1310 /3553/2010/यो/19 भोपाल दिनांक 28/02/201

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।
2. प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता (परि0)
लोक निर्माण विभाग

विषयः— विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के उपरांत पुरानी सड़क का वर्गीकरण।

संदर्भः— म0प्र0 शासन लो0नि0वि0 का पत्र कमांक 3068/3553/2010/यो/19 भोपाल दिनांक 23.06.2010

—0—

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2010 को आयोजित केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गो की समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण की कंडिका—4 अनुसार विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गो/राज्य मार्गो की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाकर इसकी रखरखाव संबंधित एजेन्सी द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा बायपास निर्माण के उपरांत राष्ट्रीय राजमार्गो की पुरानी विद्यमान सड़कों को मुख्य जिला मार्गो की श्रेणी में वर्गीकृत करता है। इस हेतु उसके संधारण एवं उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

सहपत्रः—शून्य

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

148

क्रमांक 3068/3353/2010/यो/19 भोपाल, दिनांक 23-6-10

प्रति,

1- प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल

2- प्रबंध संचालक
म0प्र0सड़क विकास निगम,
भोपाल

3- समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश

मुख्य प्रमुख अभियंता
आ. क्र.
दि. 4131
26/6/10
लो. नि. वि., भोपाल

विषय:- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 18-6-2010 का कार्यवाही विवरण ।

=0=

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 18-6-2010 को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई । जिसका कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

सहपत्र:- कार्यवाही विवरण ।

23/6/2010
उप सचिव
म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

मुख्य अभियंता (सी.एस.एस.)
आवक क्र. 863
दिनांक 29/6/10

प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18.06.2010 को केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की, की गई समीक्षा का कार्यवाही विवरण।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18.06.2010 को राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (सी.एस.एस.) मुख्य अभियन्ता (यो/ब), मुख्य अभियन्ता (उत्तर परिक्षेत्र) तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

2. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010–11 के लिए भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रुपये 170 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की है, जिनके प्राक्कलन उनके द्वारा तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत शासन को आगामी दो माह में प्रेषित कर दिये जायेंगे।

3. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की साधारण मरम्मत मद के अन्तर्गत पिछले वर्षों की कुल देनदारियाँ 21.77 करोड़ की हैं। इस वर्ष अभी तक 1.17 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। इतनी अधिक राशि की देनदारियों का निपटारा किया जाना चिंता का विषय है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता, भारत शासन से इस राशि को प्रदाय करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन को प्रेषित करें, ताकि माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जा सके। प्रस्ताव में कराये गये कार्यों का विवरण देते हुए यह जानकारी दी जाये कि इन कार्यों का संपादन किसके आदेश के द्वारा किया गया है तथा क्या वे इस तरह के आवंटन से अधिक व्यय करने के लिए सक्षम हैं ? मुख्य अभियन्ता यह प्रस्ताव दो–तीन दिन के अंदर बनाकर शासन को उपलब्ध करायें। मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग यह भी स्पष्ट करें कि इसके पहले क्या आवंटन से अधिक राशि उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन को लिखा गया था तथा इस पर भारत शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

4. विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यमार्गों के बायपास निर्माण के उपरान्त पुरानी सड़क को अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाये एवं इसका रख–रखाव संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाये।

5. प्रमुख अभियन्ता द्वारा यह सूचित किया गया कि गुना जिले में पदस्थ कार्यपालन यंत्री सी.आर.एफ. के कार्यों की वांछित गति नहीं दे पा रहे हैं। अतः उनके स्थान पर श्री अहिरवार कार्यपालन यंत्री जो कि गुना मण्डल के प्रभारी अधीक्षण यंत्री हैं, को गुना संभाग के केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के कार्यों का संपादन करने हेतु अंतिरम व्यवस्था के अन्तर्गत निर्देशित किया गया है।

6. केन्द्रीय सडक निधि योजना के अन्तर्गत कार्यों की कार्यवार समीक्षा की गई। यह पाया गया कि देवास जिले की हाटपिपलिया भौंरासा मार्ग का कार्य अधूरा है जबकि इस पर 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जा चुका है। केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत किसी भी स्थिति में 10 प्रतिशत से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत शासन द्वारा नहीं की जाती है। इस तरह के प्रकरण जिनमें स्वीकृति से अधिक राशि बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त की गई है, गंभीर आर्थिक अनियमितता एवं आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख सचिव द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की एवं देवास कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ सूचना जारी करने हेतु निर्देशित किया। कारण बताओ सूचना मुख्य अभियन्ता के माध्यम से तामील कराई जाये तथा 7 दिन के अन्दर जबाब मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त किया जाये। कार्यपालन यंत्री द्वारा दिए गए जबाव पर मुख्य अभियन्ता अपना स्पष्ट अभिमत प्रदान करेंगे तथा अपनी सहमति एवं असहमति के कारण स्पष्ट रूप से दर्शायेंगे। प्रमुख सचिव द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों में जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है के संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्री से मुख्य अभियन्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

7. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में भारत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का शत–प्रतिशत पालन किया जाये।

8. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि विभाग का बजट संवैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। अतः विधानसभा द्वारा पारित बजट में कार्य की स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय किया जाना अनियमित है। इस संबंध में विधानसभा की लोक लेखा समिति के समक्ष ऐसे प्रकरणों में विभाग का पक्ष रखना कठिन होता है। सभी मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में कार्य की स्वीकृति राशि से अधिक व्यय न किया जाये। यदि किसी कार्य की लागत बढ़ती है तो उसके लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य किया जाये। निविदा दर के कारण यदि कार्य की लागत में कुछ बचत हो रही है तो उसका उपयोग भी अन्य कार्य हेतु न किया जाये एवं ऐसी राशि का समर्पण किया जाये।

9. ई एण्ड आई. एवं एल.डब्ल्यू.ई. के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी सी. आर.एफ. के कार्यों हेतु दी गई जानकारी के प्रपत्र में दी जाये।

10. भारत शासन के पास लंबित प्रकरणों की जानकारी मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य अभियन्ता सी.एस.एस. द्वारा दी जाये ताकि भारत शासन से इनके निराकरण हेतु शासन स्तर से अनुरोध किया जा सके।

29/6/2010

सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

C:DRIVERS SANJAY Teep-6.doc